



2026:AHC:166770

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 25944 वर्ष 2026

सुरेश

चंद

.....आवेदक(गण)

बनाम

यूपी

राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : हिमांशु मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान

- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और यदि जमानत आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई की जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक विद्युत विभाग में कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि आवेदक ने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की मांग की थी। शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई और एक जाल बिछाकर जांच दल गठित किया गया। आवेदक को 5,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 4.7.2026 से जेल में बंद है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
- राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन मामले के तथ्यात्मक आधार पर विवाद नहीं किया।
- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसा कोई तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं की है जिससे आवेदक के आपराधिक इतिहास या पूर्ववृत्त का संकेत मिले, जिससे आवेदक जमानत के लिए अयोग्य हो जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. राज्य का यह मामला नहीं है कि आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष अन्वेषण या कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है।

7. यह सिद्धांत कि जमानत एक नियम है और कारावास एक अपवाद है, शीर्षस्थ न्यायालय द्वारा विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में सर्वमान्य है। इस सिद्धांत को शीर्षस्थ न्यायालय ने **सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 (10) एससीसी 51** मामले में दोहराया है। माननीय अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसी कोई आपवादिक परिस्थिति नहीं बताई है जो आवेदक को जमानत देने से इनकार करने का औचित्य सिद्ध करे।

8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई भी भौतिक तथ्य या परिस्थिति नहीं दिखाई गई है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त सबूतों या साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या अभियुक्त का चरित्र ऐसा है कि उसकी मात्र खुलेआम मौजूदगी से गवाह डर जाएंगे या अभियुक्त अपनी आजादी का इस्तेमाल न्याय को बिगाड़ने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए करेगा।

9. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जमानत का उद्देश्य मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी या परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं जिनसे यह संकेत मिलता हो कि आवेदक न्याय से भाग रहा है, न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है, या बार-बार अपराध करने, गवाहों को डराने-धमकाने आदि के रूप में अन्य प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है।

10. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ऐसा कोई सबूत या परिस्थिति नहीं दिखाई है जिससे यह साबित हो कि अभियुक्त/आवेदक जनहित या राज्य के व्यापक हित में जमानत का हकदार नहीं है।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध कर दिया है। जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

12. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत मामले संख्या 8 सन् 2026 में आरोपित आवेदक - **सुरेश चंद**, पुलिस स्टेशन भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, जिला आगरा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो और/या आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा।

iv. आवेदक उस अपराध के समान कोई अपराध नहीं करेगा जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

vi. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

vii. यदि आवेदक अपना आवासीय पता बदलता है, तो आवेदक संबंधित न्यायालय को नए आवासीय पते की लिखित सूचना देगा।

13. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत रद्द करने का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(विक्रम डी. चौहान, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

भास्कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।